

(ड) विद्यार्थी को विद्यालय एवं छात्रावास में नियमों का पालन करते हुए अनुशासन में रहना होगा।

अनुशासनहीनता करने वाले विद्यार्थी पर कार्यवाही की जायेगी।

(च) विद्यार्थी को विद्यालय एवं छात्रावास की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने पर अर्थ दंड देना होगा।

(छ) विद्यार्थी को विद्यालय एवं छात्रावास में मोबाइल फोन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मोबाईल पाए जाने पर मोबाईल जब्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(ज) विद्यार्थी को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के समस्त नियम एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(झ) विद्यार्थी प्राचार्य /छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना विद्यालय /छात्रावास नहीं छोड़ सकेगा।

(ट) विद्यार्थी को विद्यालय एवं छात्रावास से लगातार 10 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर नाम खरिज कर दिया जायेगा।

(ठ) माता - पिता /पालक / अभिभावक विद्यार्थी से अवकाश के दिनों में ही मिल सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में प्राचार्य से संपर्क किया जा सकता है।

प्रमाणीकरण

मैं प्रमाणित करता हूँ, कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही है। मेरा पुत्र /पुत्री किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है एवम अपने सभी कार्य करने में सक्षम है। मैंने उपरोक्त नियम एवम निर्देशों को भली भाँति पढ़ लिया है, मैं सभी नियम एवं निर्देशों का पालन करूँगा एवं विद्यालय की ओर से बुलाये जाने पर उपस्थित रहूँगा।

दिनांक :

विद्यार्थी

माता

पिता

स्थान :

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

छात्र /छात्रा का नाम कक्षा में प्रवेश क्रमांक

दिनांकको विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, एवं बालक/बालिका छात्रावास खण्ड कक्षा आवंटित किया जाता है।

दिनांक

प्रवेश प्रभारी

पावती

श्री /कुआत्मज/आत्मजानिवासीका प्रवेश आवेदन फॉर्म

कक्षासंकायके लिए आज दिनांकको प्राप्त हुआ।

आवेदन जमाकर्ता का मोबाइल नंबर

हस्ताक्षर

प्रवेश प्रभारी